



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 11.04.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शहजाद अहमद पुत्र हाजी इरफान अहमद अन्सारी नि० मौ० इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहजाद अहमद पुत्र हाजी इरफान अहमद अन्सारी नि० मौ० इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. हे०का 524 विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 11.04.2024

थाना बढापुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फखरुद्दीन पुत्र अब्दुल करीम नि० मौ० सत्तियाँन कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना बढापुर पर मु०अ०स०-68/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम फखरुद्दीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

फखरुद्दीन पुत्र अब्दुल करीम नि० मौ० सत्तियाँन कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्तखाब उपरोक्त:-

1. मु०अ०स०-351/17 धारा 294 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०स०-375/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि० थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०स०-12/02 धारा 25 आयुध अधि० थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०स०-73/07 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना बढापुर जनपद बिजनौर

- 5.मु0अ0स0-54/04 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0स0-206/05 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0स0-395/09 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0स0-287/05 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0स0-58/18 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0स0-299/14 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी 434 आशीष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी 702 अरुण कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. मुख्य आरक्षी 727 संजय शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 11.04.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त को चोरी की मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आसिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर को चोरी की मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस (डी0एल0 5एस सीसी 2718) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आसिफ द्वारा उक्त



मोटरसाईकिल को फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उपयोग किया जा रहा था। बरामद मोटरसाईकिल रवि शर्मा पुत्र रामबहादुर शर्मा नि0 सुभाष मोहल्ला दिल्ली की है, जिनके द्वारा दिनांक 16.03.2021 को थाना भजनपुरा दिल्ली पर मु0अ0सं0 8109/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटरसाईकिल व फर्जी नम्बर प्लेट के उपयोग करने आदि के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 162/24 धारा 414/420/411 भादवि बनाम आसिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.आसिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1- एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि0 नं0- डी0एल0 5एस सीसी 2718.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का0 2523 संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3- का0 2567 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना शेरकोट

दिनांक 11.04.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 78/24 धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को चोरी गये 21 मोबाईल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2024 को वादी मौ0 इमरान पुत्र बुन्दु निवासी मौ0 मनिहारान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मौ0 बिलाल पुत्र नाज आलम 2.अमन अहमद पुत्र नाज आलम निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 09/10.04.2024 की रात्रि को वादी की दुकान के बराबर में से कुम्बल लगाकर दुकान में रखे नये व पुराने 20-21 मोबाईल फोन तथा गल्ले से 500-600 रूपये चोरी कर लिए है। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 457/380 भादवि बनाम मौ0 बिलाल व अमन अहमद पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 78/24 धारा 457/380 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.मौ0 बिलाल पुत्र नाज आलम 2.अमन अहमद पुत्र नाज आलम निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को चोरी गये नये व पुराने 21 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सब्बल, एक हथौड़ी व एक बसौली बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.मौ0 बिलाल पुत्र नाज आलम नि मौ0 अफगानान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.अमन अहमद पुत्र नाज आलम नि मौ0 अफगानान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी गये नये व पुराने 21 मोबाईल फोन ।
2. घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सब्बल
3. घटना में प्रयुक्त एक हथौडी
4. घटना में प्रयुक्त एक बसौली

गरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3- हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 4- हे0का0 250 रवि कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 5- का0 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 6- का0 2082 बिन्दू कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 7- का0 1945 विक्रम सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 8- का0 1297 अनुज ढाका थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 9- का0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना रेहड

दिनांक- 11.04.2024

थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु सिंह नि० ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु०अ०सं० 52/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम अभियुक्त विरेन्द्र सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विरेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु सिंह नि० ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 2513 देव तेवतिया थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 275 अम्बुल पवांर रेहड जनपद बिजनौर